

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा  
 (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ बेदखली व स्थायी हुक्मइस्तनाई दवामी

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई


मुकदमा नम्बर :- 2/2013 (हिदायत खां वगै० बनाम खादिम खां वगै०)

निर्णय दिनांक :- 24.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.06.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम नयाबास तन धनूरी के गत खसरा नंबर 301/1 रकबा 2 बीघा 1 बिश्वा पुख्ता के हाल खसरा नंबर 384 रकबा 0.18 है०, खसरा नंबर 385 रकबा 0.16 है०, खसरा नंबर 389 रकबा 0.18 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है० तथा गत खसरा नंबर 301/2 तादादी 1 बीघा 10 बिश्वा के हाल खसरा नंबर, खसरा नंबर 390 रकबा 0.38 है० में वादी संख्या 1 (1/1 लगायत 1/8) को 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 (2/1 लगायत 2/6) 3, 4 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 24.06.2025 को जारी की गई।

  
(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर

